न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 06/2019

RCMS Case No. 2019/00036

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
किस्तूरचन्द पुत्र पूनमचन्द जाति सुथार निवासी जोजावर तहसील मारवाड़ जंक्शन		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री शंकरलाल गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20.02.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 03/2019 में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम जोजावर तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 2770 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नाला की भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त दर्शाते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 20.1.2019 को तारीख पेशी पर उपस्थित होने का नोटिस दिया गया तथा नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट की उपस्थिति दर्शाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया एवं अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए बेदखली के आदेश पारित किए। जबकि पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु किसी प्रकार का रेकर्ड पत्रावली पर नही है। वर्तमान में वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नही है तथा भूमि मौके पर खाली पडी है। अपीलाण्ट के विरूद्ध गलत रूप से प्रकरण निस्तारित करते हुए बेदखली एवं सजा का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रकरण में जिस स्थापित नियम कायदों की पालना करनी होती है, उनको नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती

अति० जिला कलेक्टर, पाली

अतिक्रमण को किसी भी रूप में परीक्षित नही किया है तथा बिना किसी साक्ष्य सबूत के अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास, जुर्माना एवं बेदखली के दण्ड से दण्डित किया है, जबकि वर्तमान में मौके पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण भी नही है। इस प्रकार जो सजा का आदेश पारित किया है, वह गैर वाज़िब है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम जोजावर तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 2770 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नाला की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम जोजावर तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 2770 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नाला की भूमि राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत जोजावर के खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर काश्त करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किस्तुरचंद पुत्र पूनमचंद को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कारण तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.2018 को जैर अपील विवादित आराजी पर निर्माण कार्य को रूकवाया गया है। जहां तक पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रश्न है, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो पटवारी हल्का की साक्ष्य ली एवं न ही ऐसे साक्ष्यों को परीक्षित किया गया, जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की ताईद करते हो। वकील अपीलाण्ट ने कथन किया कि प्रकरण में वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नही है। इन तथ्यों के समर्थन में अपीलाण्ट द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म गै0मु0 नाला है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की मंशा भी राजकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करना ही है। चूंकि वर्तमान में मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा नहीं होना जाहिर किया है, इसलिये अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलाण्ट को दी गई सजा को बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 03/2019 बनवान सरकार बनाम किस्तुरचंद में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2019 में अन्य प्रविष्ठियों को बदस्तूर रखते हुए मात्र तीन माह के सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि अपीलाण्ट, इस आदेश के पारित होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उसके द्वारा वादस्थ आराजी से अपना कब्जा हटा दिया है एवं यह भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर दे कि उसके द्वारा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण नही किया जावेगा एवं तहसीलदार मारवाड जंक्शन उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का सत्यापन करेंगे। यदि अपीलाण्ट ऐसा करने में कोई चूक करता है, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा के आदेश यथावत रहेंगे। इसके साथ ही तहसीलदार मारवाड जंक्शन को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का सत्यापन करें तथा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जैर अपील प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 22.01.2019 की अनुपालना में विधि सम्मत कार्यवाही करे। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली